न्यायालय अपर जिला कलक्टर, फलौदी

पीठासीन अधिकारी श्री गोपालराम बिरड़ा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 11 / 2023

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
बीबी पत्नी श्री रहमतुल्ला जाति मुसलमान लेली निवासी ग्राम घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलौदी (राज0)	1. तहसीलदार (भू. अ.) तहसील घंटियाली 2. उमरखान पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम खेंगारसर 3. समसदीन पुत्र दीनू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खेंगारसर 4. हलीमा खातू पत्नी उमर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खेंगारसर तहसील घंटियाली जिला फलौदी (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध खातेदारी जोत विभाजन का एग्रीमेंट (बंटवाड़ा) आदेश भू.अ. / 2022 / 1584 दिनांक 18.11.2022 कार्यालय तहसीलदार, घंटियाली

निर्णय दिनांक: 16.05.2024

अपील का सारांश इस प्रकार है कि यह है कि ग्राम खेंगारसर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलौदी मे खेत मूल खसरा नम्बर 752 कुल रकबा 94453 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एव रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही। रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 ने अपीलांट जो अनपढ महिला है उसको धोखे में रख कर आपसी सहमति का बंटवाड़ा दिनांक 18.11.2022 को गलत तहरीर करवा लिया। अपीलांट का कब्जा व काश्त अपीलाधीन बंटवाड़ा के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार नहीं होकर वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार है जबकि रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 ने अपीलांट के अनपढ होने तथा पर्दानशीन औरत होने आंखों से कम दिखाई देने का फायदा उढाकर सरासर गलत तरीके से उक्त आपसी सहमति का बंटवाड़ा निष्पादित करवा अंगुठा निशानात करवा लिये गये जबकि अपीलांट को रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 ने उक्त आपसी सहमति के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी थी बल्कि अपीलांट को यह कह कर तहसीलदार घंटियाली के कार्यालय मे लाये थे कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन चालू करवा रहे है । अपीलांट को कभी भी तहसीलदार घंटियाली के समक्ष बंटवाड़ा करवाने हेतु उपस्थित नहीं किया गया था। यह है कि उक्त अपीलाधीन आपसी सहमति के बंटवाड़े में बारे में अपीलांट को रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी थी और न ही रेस्पोडेंट सं. 1 के समक्ष उक्त अपीलाधीन आपसी सहमति का बंटवाड़ा करवाने हेतु पेश किया गया था। रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 ने रेस्पोडेंट सं. 1 से मिलावट कर अपीलाधीन आपसी सहमति का बंटवाड़ा अपीलांट के कब्जा व काश्त से भिन्न करवा दिया [illegible] कब्जा व काश्त अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही चला आ रहा है [illegible] नक्शा अनुसार ही अपीलांट का कब्जा व काश्त है तथा [illegible] पानी टांका व पशुओं के लिये बाडा इत्यादि बना रखे है तथा अपीलांट ने संलग्न नजरी नक्शा अनुसार [illegible]कर तारबन्दी कर रखी है। बंटवाड़ा के आधार पर की गई [illegible] तरमीम करदी गई है जिसके कारण अपीलांट की रहवासीय ढाणियां वगैरा रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 की तरमीम में आ गई अपीलाधीन खसरा नम्बर 928 / 752 रकबा 8.0936 हैक्टेयर भूमि पर अपीलॉट का अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है अभी दिनांक 10 / 09 / 2023 को अपीलांट के परिवार के सदस्य अपने कब्जा व काश्त अनुसार अपनी भूमि में की गई फसल को अवेंर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:43 IST
Reason: SelfAttested

गोपालराम
अति.जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

रहे थे तब रेस्पोडेंट सं. 2 ता 4 अपीलांट की संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त की भूमि आये और रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 ने अपीलांट को धमकी दी कि भू–नक्शा मैं आपके कब्जा व काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से तुम यहां से अपना कब्जा हटालो तथा तारबन्दी व खूंटे यहां से हटालो तब अपीलाण्ट ने अपनी भूमि की जमाबंदी व नक्शा प्राप्त कर पढवाकर मनन किया तो उन्हे बंटवाड़ा गलत होने की जानकारी हुई तब अपीलांट ने तहसीलदार कार्यालय घंटियाली से आपसी सहमति का बंटवाड़ा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर पठन की तो बंटवाड़ा के साथ सलंग्न नजरी में अपीलांट का कब्जा गलत दर्शाया होने की प्रथम बार जानकारी हुई दिनांक 18/09/2023 से पहले अपीलांट को अपीलाधीन आपसी सहमति बंटवाड़ा की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट को आपसी सहमति का बंटवाड़ा गलत होने की जानकारी दिनांक 18/09/2023 को हुई है इसलिए देरी को कंडोन करने का प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम अलग से पेश है अपील जानकारी होने की दिनांक से मयाद में पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम व अपील स्वीकृत कर अपीलाधीन आपसी सहमति क बंटवाड़ा आदेश भू.अ. /2022/1584 दिनांक 18.11.2022 को निरस्त करने के आदेश फरमावें।

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील को जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलवी हेतु नोटिस जारी कर तामील हेतु भेजे गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई ने वकालातनाम पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेण्टस संख्या 2 एवं 4 के सम्मन रजिस्टर डाक से भेजे गये जिनकी रशीद पेश की गई। उनको दिनांक 16.05.2023 को न्यायालय समय में बार बार अवाज लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 03 को अनेक अवसर देने के उपरान्त अपना जबाब पेश नही किया पत्रावली बहस में रखी गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजो से प्रमाणित होता है कि ग्राम खेंगासर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलौदी में खेत मूल खसरा नम्बर 752 कुल रकबा 94453 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 4 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही। बटवाड़ा के साथ पेश संलग्न नजरी नक्शानुसार अपीलाण्ट कब्जा व काश्त नही है। रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 4 ने बटवाड़ा के समय हिस्से से अधिक भूमि रोड़ पर अधिक रखी जहा पर रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 4 का बटवाड़ा में नजरी नक्शा दर्शाया है वहा पर अपीलाण्ट का कब्जा है। उक्त बटवाड़ा खातेदारो के कब्जा व काश्त के विपिरित किया गया है। इन तथ्यो के खण्डन हेतु रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 4 ने किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नही किया है इसलिए अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार घंटियाली के आदेश भू.अ. /2022/1584 दिनांक 18.11.2022 एग्रीमेंट (बंटवाड़ा) को निरस्त किया जाकर उक्त बंटवाड़ा के पूर्व की स्थिति कायम कर ग्रांम खेगासर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली के मूल खसरा नं0 752 कुल रकवा 9.4453 हैक्टर के पक्ष[illegible] सुनवाई का अवसर देकर अच्छी से अच्छी एवं खराव से खराव भूमि [illegible] के हिस्से में [illegible] जाकर नये सिरे से बंटवारा का आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में [illegible]ाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:43 IST
Reason: SelfAttested

गोपालराम
(गोपालराम बिरड़ा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी